बिहार सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

सं०सं०–5 / विविध–20–08 / 2015– 279 (2)   दिनांकः–17/03/2022

कार्यालय आदेश

विभाग में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं स्वास्थ्य सेवा के पदाधिकारियों के बीच कार्यहित में नये सिरे से निम्नरूपेण कार्य आवंटित किया जाता है :–

प्रशाखा का नाम	प्रथम स्तर के पदाधिकारी	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी	तृतीय स्तर के पदाधिकारी	अंतिम स्तर के पदाधिकारी
प्रशाखा–1 (IGIMS एवं मेडिकल कॉलेज पद सृजन)	डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक	–	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रशाखा–2 (स्थापना–बेसिक चिकित्सा पदाधिकारी)	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	–	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–3 (स्थापना–वरीय चिकित्सा पदाधिकारी)	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	–	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–4 (स्थापना–क्षेत्रीय अराजपत्रित)	डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रशाखा–5 (मुख्यालय स्थापना, लेखा एवं लेखन सामग्री सहित)	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव (संविदा)	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–6 (नर्सिंग)	डा0 अनील कुमार तिवारी, निदेशक प्रमुख।	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–7 (बजट)	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव (संविदा)	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	श्री संजय कुमार सिंह, सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–8 (ऑडिट)	श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रशाखा–9 (आरोप एवं निगरानी)	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–10 (आधारभूत संरचना निर्माण और पूर्णोद्धार तथा पद सृजन)	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव (संविदा)	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	......	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–11 (राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मानसिक रोग / अस्पताल एवं आपदा) इनसे जुड़े अराजपत्रित का स्थापना	डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल)	श्री आनंद प्रकाश विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव

प्रशाखा–12 (BMSICL/SHSB/ परिवार कल्याण स्थापना)	डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण)	श्री आनंद प्रकाश विशेष कार्य पदाधिकारी	–	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–13 (विधान मंडलीय एवं कोर्ट केसेज)	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव (संविदा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रशाखा–14 (चिकित्सा प्रतिपूर्ति) (CMRF)	डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक	श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रशाखा–15 औषधि नियं0 (ड्रग्स)	प्रभारी राज्य औषधी नियंत्रक	श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार,. सचिव
खाद्य संरक्षा (प्रशाखा–15)	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव (संविदा)	श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव –सह– खाद्य संरक्षा आयुक्त
प्रशाखा–16 (आयुष)	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी		श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–17 (चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग स्थापना)	डा0 अल्का सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री संजय कुमार सिंह, सचिव	अपर मुख्य सचिव
प्रशाखा–18 (विविध, एक से अधिक प्रशाखा से संबंधित कार्य तथा सूचना–सह– जन शिकायत कोषांग सहित)	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव (संविदा)	श्री आनन्द प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव
प्रोन्नति कोषांग (प्रशाखा–18A) (DACP)	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव (संविदा)	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	–	श्री के0 सेंथिल कुमार, सचिव

2– पदाधिकारियों की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में कार्य बाधित नहीं हो, इसलिए निम्न प्रकार लिंक पदाधिकारी बनाये जाते हैं। एक पदाधिकारी की अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में दूसरे पदाधिकारी उनका कार्य देखेंगे :–

पदाधिकारी का नाम	**लिंक पदाधिकारी का नाम**
श्री के सेंथिल कुमार, सचिव	श्री संजय कुमार सिंह, सचिव
श्री संजय कुमार सिंह, सचिव	श्री के सेंथिल कुमार, सचिव
श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव	श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव
श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव
श्री शैलेश कुमार, उप सचिव	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री शैलेश कुमार, उप सचिव
श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्रीमती रेणु कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री आनंद प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी

17/03/2023

श्री आनंद प्रकाश, विशेष कार्य पदाधिकारी	श्री शिशिर कुमार मिश्रा, विशेष कार्य पदाधिकारी
श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव	श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव
श्री अंजनी कुमार सिन्हा, अवर सचिव	श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव
श्री रबीन्द्र नाथ उपाध्याय, अवर सचिव	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन, अवर सचिव
निदेशक आयुर्वेद	निदेशक यूनानी
निदेशक होमियोपैथ	निदेशक यूनानी
निदेशक यूनानी	निदेशक आयुर्वेद
डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख	डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख
डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख	डा0 राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख
डा0 सुनील कुमार झा	डा0 अनील कुमार तिवारी
डा0 अनील कुमार तिवारी	डा0 निहारिका शरण, निदेशक प्रमुख
डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक	डा0 अशोक कुमार, अपर निदेशक

3– सचिव, स्वास्थ्य विभाग के अनुपस्थिति/अवकाश की स्थिति में अत्यावश्यक संचिका पर अंतिम रूप से आदेश अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का प्राप्त करना होगा।

4– प्रशाखा–02 एवं 03 से संबंधित चिकित्सकों का सेवा विनियमन (, उच्च शिक्षा/साक्षात्कार आदि के लिए अनापत्ति (N.O.C.) निर्गत करने हेतु श्री के सेंथिल कुमार, सचिव, स्वास्थ्य विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

5– श्री अंशुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग अगले आदेश तक राज्य आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक के प्रभार में रहेंगे। साथ ही श्री अग्रवाल को प्रशाखा–16(आयुष) से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के GPF अग्रिम, अवकाश तथा सेवा विनियमन एवं सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

6– श्री संजय कुमार सिंह, सचिव को प्रशाखा–17 (चिकित्सा शिक्षा सेवा) से संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी के GPF अग्रिम, अवकाश तथा सेवा विनियमन, उच्च शिक्षा/साक्षात्कार आदि के लिए अनापत्ति (N.O.C.) निर्गत करने एवं सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

7– श्री अग्रवाल के अवकाश/अनुपस्थिति अवधि में आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक के दायित्वों का निर्वहन श्री संजय कुमार सिंह, सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया जायेगा।

8– प्रशाखा–02, 03, एवं 16 स्थापना से जुड़े सभी कर्मियों/पदाधिकारियों की विदेश यात्रा से संबंधित सभी संचिकाएँ श्री के सेंथिल कुमार, सचिव, स्वास्थ्य के स्तर से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को उपस्थापित की जाएगी।

9– प्रशाखा–17 स्थापना से जुड़े सभी कर्मियों/पदाधिकारियों की विदेश यात्रा से संबंधित सभी संचिकाएँ श्री संजय कुमार सिंह, सचिव, स्वास्थ्य के स्तर से माननीय मंत्री, स्वास्थ्य को उपस्थापित की जाएगी।

10– प्रशाखा–02, 03, एवं 05 स्थापना से जुड़े सभी कर्मियों/पदाधिकारियों के GPF अग्रिम, अवकाश स्वीकृति एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति सहित सेवांत लाभ से संबंधित सभी मामलों की स्वीकृति एवं पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर हेतु श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।

11– श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सिचव, स्वास्थ्य विभाग को सी0एफ0एम0एस0 हेतु विभागीय बजट मॉडयूल के Approver के रूप में विभाग के सभी बजट आवंटनादेशों पर हस्ताक्षर करने एवं

2.79 (7)
17/03/2023

राज्यादेशों तथा आवंटनादेशो द्वारा सहायक अनुदान की निकासी के उपरान्त उक्त राशि के समायोजन हेतु उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

12– मुख्यालय स्तर सहित सभी मामलों में पासपोर्ट बनवाने के क्रम में विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र आदि से संबंधित विहित प्रपत्र/प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने हेतु श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।

13– मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष अन्तर्गत चिकित्सा अनुदान हेतु गठित अधिकृत समिति की बैठक की अध्यक्षता तथा चिकित्सा संबंधी प्रयोजनों के लिए मानव अंगो को हटाने, रखने और प्रत्यारोपण को विनियमित करने हेतु प्राधिकृत करनेवाली समिति की बैठक की अध्यक्षता डा० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य एवं पारा मेडिकल) द्वारा किया जायेगा।

14– बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन प्रपत्र पर हस्ताक्षर/प्रतिहस्ताक्षर तथा विभाग से संबंधित नवाचार आदि कार्य हेतु निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।

15– डा0 नागेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से स्वीकृत राशि का चेक निर्गत करने हेतु डॉ० राकेश चन्द्र सहाय वर्मा, निदेशक प्रमुख के साथ संयुक्त रूप से प्राधिकृत किया जाता है।

16– कौशल विकास मिशन की संचिका डा0 सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित किया जायेगा।

17– राष्ट्रीय मानवाधिकार आदि महत्वपूर्ण संचिकाएँ सचिव के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित की जायेगी।

18– BMSICL एवं राज्य स्वास्थ्य समिति में तकनीकी मुल्यांकन समिति एवं सदस्य, वित्तीय निविदा समिति, तकनीकी कोर समिति (आवश्यक औषधियों/उपकरणों हेतु) एवं विभिन्न प्रकार के आंतरिक निविदा आदि के निष्पादन हेतु गठित समिति के अध्यक्ष/सदस्य/अन्य के रूप में कार्य करने हेतु डा0 अनील कुमार तिवारी, निदेशक प्रमुख को प्राधिकृत किया जाता है।

19– आपदा प्रबंधन से संबंधी संचिकायें डा0 देवेन्द्र कुमार गुप्ता, अपर निदेशक (आपदा प्रबंधन) के द्वारा निदेशक प्रमुख (मानसिक रोग, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं औषधि नियंत्रण) के माध्यम से उपस्थापित की जायेगी।

20– स्वास्थ्य विभाग, बिहार में पदस्थापित निदेशालय स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता विषयों तथा डी0सी0 विपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने हेतु निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।

21– राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड (कैदी/बंदी या प्रशाखा–14 के अधीन अन्य मामलों में) की अध्यक्षता करने हेतु निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को प्राधिकृत किया जाता है।

22– स्वास्थ्य विभाग में GeM Portal के माध्यम से सामग्रियों के क्रय एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा जारी GeM मार्गदर्शिका के आलोक में Primary User एवं Verifying Authority के रूप में श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव को प्राधिकृत किया जाता है।

23– बिहार विकाश मिशन से संबंधित कार्यो/दायित्वों के निर्वहन हेतु विभागीय स्तर पर श्री सुधीर कुमार, संयुक्त सचिव नोडल पदाधिकारी होगें।

24– श्री सुरेन्द्र राय, विशेष कार्य पदाधिकारी को महानिदेशक, आयुष, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना के दायित्वों के निर्वाहन के साथ–साथ न्यायालय वाद से संबंधित मामले की समीक्षा के वरीय प्रभार हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

25– डा0 सुनील कुमार झा, निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) को पूर्व आवंटित दायित्व से मुक्त करते हुए निदेशक प्रमुख (प्रशासन) तथा श्री अनील कुमार तिवारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को पूर्व आवंटित दायित्व से मुक्त करते हुए निदेशक प्रमुख (परिवार कल्याण, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) के दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

17/03/2023

26– पूर्व में निर्गत संबंधित कार्यालय आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।
27– यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
28– प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक–5/विविध–20–08/2015–279 (5) स्वा0/पटना, दिनांक:– 17/03/2023

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य/ कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना/ संयुक्त सचिव/उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अवर सचिव/सभी निदेशक प्रमुख/निदेशक, आर्युवेद/होमियोपैथ/यूनानी /राज्य औषधि नियंत्रक/सभी अपर निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Renu Kumari 17/3/2023
विशेष कार्य पदाधिकारी।